न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 134/2020 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2020/00130

1. चन्द्रकला पुत्री गिरधारी पत्नी भंवरलाल जाति माली निवारी पंवारसर कुंआ रोशनी घर के पीछे, बीकानेर।

— अपीलान्ट

संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

बनाम

1. योगेन्द्र कुमार
2. सुरेन्द्र कुमार
3. नरेन्द्र कुमार

} पिसरान हीरालाल पुत्र गिरधारीलाल जाति माली निवासी राणीसर बास, बीकानेर।

4. मेघराज(फोत)

4/1 गोरधन पुत्र मेघराज पुत्र गिरधार जाति माली निवासी राणीसर बास, बीकानेर।

4/2 राजेन्द्र कुमार(फौत)

4/2/1 मधुबाला पत्नी राजेन्द्र भाटी निवासी राणीसर बास, बीकानेर।

4/2/2 मीनाक्षी पुत्री राजेन्द्र भाटी निवासी राणीसर बास, बीकानेर।

4/2/3 प्रिन्स पुत्र राजेन्द्र भाटी नाबालिग जरिए कुदरती वली माता खुद मधुबाला पत्नी राजेन्द्र भाटी, राणीसर बास, बीकानेर।

4/3 मणि हर्ष पुत्री मेघराज पत्नी डॉ. कमलेश कुमार हर्ष निवासी कोठी नं. II/127 पी.बी.एम के सामने, बीकानेर।

5. रामचन्द्र (फौत)

5/1 लक्ष्मीनारायण भाटी पुत्र रामचन्द्र भाटी निवासी रामपुरा बस्ती, यूआईटी क्वाटर के पीछे, मदन डेयरी के पास, बीकानेर।

5/2 रामस्वरूप भाटी पुत्र रामचन्द्र भाटी निवासी रामपुरा बस्ती, यूआईटी क्वाटर के पीछे, मदन डेयरी के पास, बीकानेर।

5/3 शिवदयाल भाटी पुत्र रामचन्द्र भाटी निवासी राणीसर बास, बीकानेर।

5/4 विजय लक्ष्मी पुत्री रामचन्द्र भाटी पत्नी शिवदान पंवार निवासी अगुणा चौक, गोपाल बाल विधालय, रोशनी घर के पीछे, बीकानेर।

6. रणछोड़ (फौत)

6/1 पवन सैनी पुत्र रणछोड़ सैनी निवासी राणीसर बास, बीकानेर।

6/2 सुमन पुत्री रणछोड़ सेनी पत्नी रामेश्वर तंवर निवासी यशंवत सरूस्ती बिल्डिंग जी–4–ए, विंग फ्लेट नं. 305, सरावली, बोईसर तहसील पालघर जिला ठाणे(महाराष्ट्र) पिन नं. 401401

6/3 लक्ष्मी देवी पुत्री रणछोड सैनी पत्नी ताराचन्द्र पड़िहार निवासी मुरली मनोहर मंदिर के पीछे, भीनासर, बीकानेर।

6/4 निर्मला पुत्री रणछोड़ सैनी पत्नी मगनलाल तंवर निवासी रिद्धी सिद्धि कॉलोनी बीकानेर।

7. सुशीला पत्नी महेश पुत्र गिरधारी जाति माली निवासी राणीसर बास, बीकानेर।

8. मनीष पुत्र महेश जाति माली निवासी राणीसर बास, बीकानेर।

9. पंकज भाटी पुत्र श्री महेश भाटी जाति माली निवासी 2–ई–13, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर।

10. पूजा पुत्री महेश पत्नी रवि कच्छावा निवासी राणीसर बास, बीकानेर हाल उत्सव

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेजीडेन्सी बी–101, चांदखेड़ा न्यू जी.जी. रोड़ साबरमती अहमदाबाद(गुजरात)

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट — श्री सत्यपाल साहू

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3, 4/1, 4/3, 5/1, 6/2, 7,8,9 — श्री धीरेन्द्र भदौरिया

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

निर्णय

दिनांक 24.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 17.03.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चकगर्वी तहसील बीकानेर के खसरा नंबर 783 तादादी 5 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 876 तादादी 25 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 822 तादादी 8 बीघा कुल तादादी 38 बीघा 7 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता गिरधारी के नाम रिकॉर्ड दर्ज थी। अपीलांट के पिता गिरधारी की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल संख्या 77 दिनांक 28.06.1986 चम्पा देवी पत्नी गिरधारी, हीरालाल, मेघराज, रामचन्द्र, रणछोड़ एवं महेश के नाम दर्ज कर दिया गया। अपीलांट की माता चम्पा देवी पत्नी गिरधारी की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल संख्या 45 दिनांक 18.12.1991 हीरालाल, मेघराज, रामचन्द्र, रणछोड़ एवं महेश के नाम दर्ज कर दिया गया। अपीलांट खातेदार गिरधारी की जीवित संतान होने के बावजूद उसका नाम विरास्तन इंतकाल में दर्ज नहीं किया गया। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी बीकानेर के के उक्त इंतकाल संख्या 45 आदेश दिनांक 18.12.1991 के विरूद्ध अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 17.03.2020 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के अपीलाधीन उक्त आदेश दिनांक 17.03.2020 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि चकगर्वी तहसील बीकानेर के खसरा नंबर 783 तादादी 5 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 876 तादादी 25 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 822 तादादी 8 बीघा कुल तादादी 38 बीघा 7 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता गिरधारी के नाम रिकॉर्ड दर्ज थी। अपीलांट की माता चम्पा देवी पत्नी गिरधारी की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल संख्या 45 दिनांक 18.12.1991 हीरालाल, मेघराज, रामचन्द्र, रणछोड़ एवं महेश के नाम दर्ज कर दिया गया। अपीलांट खातेदार गिरधारी एवं चम्पा देवी पत्नी गिरधारी की जीवित संतान होने के बावजूद उसका नाम विरास्तन इंतकाल में दर्ज नहीं किये जाने के कारण उक्त इंतकाल काबिल खारिज है। मृतक चम्पा देवी पत्नी गिरधारी के जायज वारिसान उसके पुत्र हीरालाल, मेघराज, रामचंन्द्र, रणछोड़ एवं महेश के अलावा एक पुत्री चंद्रकला थी जिसकी बिना जांच, बिना नोटिस, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, एक तरफा, पीठ पीछे बाला–बाला इंतकाल दर्ज किया जाकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी का नाम दर्ज नही किया गया। जिससे अपीलाधीन आदेश abinitio Void होने के कारण अपीलांट के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है। ऐसे Void आदेशों पर मियाद लागू नही होने के बावजूद मियाद बिन्दू पर अपील खारिज कर प्रथम अपील न्यायालय ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कानूनी भूल की है। चम्पा देवी पत्नी गिरधारी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में दर्ज प्रथम श्रेणी के वारिसान में उनके 5 पुत्र एवं 1 पुत्री कुल 6 वारिसान होने के कारण सभी वारिसान को 1/6 –1/6 वहिस्सा वरावर कानून प्राप्त हुई। जिसे वरवक्त दर्ज किये जाने नामांतरकरण सं. 45 दिनांक 18.12.1991 रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अमला माल से साठ–गांठ कर अपीलांट का नाम छोडते हुए गलत वारिस प्रमाण–पत्र वनवाकर 1/5 वहिस्सा वरावर का जानवूझकर गलत नामांतरकरण दर्ज करवाया। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकार वीकानेर आदेश दिनांक 17.03.2020 एवं सहायक भू–प्रवंधक अधिकारी वीकानेर का आदेश दिनांक 18.12.1991 जिसकी पालना में दर्ज नामांतरकरण संख्या 45 वाके रोही चकगर्वी वीकानेर निरस्त फरमाया जावें। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर सभी जायज वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय का निर्देशित किया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी वहस में कथन किया है कि वादगत भूमि आज की दिनांक में कृषि भूमि नही है। उक्त भूमि पर राजस्थान भू'राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी की कार्यवाही हो चुकी है। उक्त वादगत भूमि यू.आई.टी के नाम दर्ज है। अपीलांट ने प्रथम अपील मूल आदेश की नही की अपितु आदेश की पालना में दर्ज इंतकाल की है। जिस आदेश से इंतकाल दर्ज किया गया है। वह आज दिनांक अस्तित्व में ही नही है। क्योकि उक्त भूमि यूआईटी के नाम दर्ज हो चुकी है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जो धारा 5 का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया उसमें अपीलांट द्वारा नामांतरकरण संख्या 45 दिनांक 18.12.1991 की जानकारी का दिनांक 18.03.2015 होना वताया है। जवकि अपीलांट रेस्पोडेन्ट भाई–वहन है और एक ही परिवार सं संबंधित होकर एक ही शहर में निवास करते है। अपीलांट द्वारा लगभग 29 साल के बाद बिलम्ब के लिए कोई संतोषप्रद कारण प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। उक्त वादगत भूमि का विरास्तन इंतकाल संख्या 45 दिनांक 18.12.1991 हीरालाल, मेघराज, रामचन्द्र, रणछोड़ एवं महेश के नाम दर्ज कर दिया गया। खातेदार गिरधारी एवं चम्पा देवी पत्नी गिरधारी की जीवित संतान होने के बावजूद एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होते हुए भी विरास्तन इंतकाल संख्या 45 में अपीलांट का नाम दर्ज नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने उक्त प्रकरण में अपीलांट की प्रथम अपील मियाद बिन्दू धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत् खारिज कर दी। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2020 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर